

22-7
24

वकील पार्सी व पार्सी के अनुपस्थित रहने
के कारण पार्सीना-पत्र से संबंधित मूल
दावा खारिज हो चुका है। जिससे यह
पार्सीना-पत्र अब आगे चलने योग्य नहीं है।
अतः इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।
पत्रावली निर्णय में शुमार की जाकर मूल
दावा के संलग्न हो।